प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.09.2025

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 08.09.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र निवासी उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद (वादी का पुत्र) द्वारा वादी के साथ गाली गलौज व मारपीट करते समय वादी की माताजी शर्बत देवी द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी की माताजी को धक्का मार देना जिससे वादी की मताजी का सीढ़ियों से गिर जाना जिससे हॉस्पीटल ले जाते समय रास्ते में वादी की माताजी की मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 115(2)/352/105 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरा व मेरे पिता जी का आपस में झगड़ा हो रहा था उसी समय मेरी दादी बीच-बचाव करने आयी, मैंने दादी को धक्का मार दिया जिससे वह सीढियों से गिर गयी व हॉस्पीटल ले जाते समय रास्ते में दादी की मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

धर्मेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 15000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 09.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 15000/- रूपये का इनामी अभियुक्त महताब पुत्र तौसीफ

निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को चौकी क्षेत्र कलछीना से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त महताब पुत्र तौसीफ ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये गौकशी, पशु क्रूरता जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महताब पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर गौवध अधिनियम के 02 अभियोग ,गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व अवैध शस्त्र बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग **(कुल 04 अभियोग)** पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

दिनांक 09.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर दाखिल 27 वाहनों की नीलामी के संबंध में।

वाहन का प्रकार – 27 वाहन (21 मोटर साइकिल व 03 तीन पहिया व 03 चार पहिया)
नीलामी का स्थान/दिनांक व समय – थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.09.2025
मुल्याकंन न्युनतम धनराशि – 1,70,500/- रु0
अधिकतम धनराशि (छोड़ी गयी नीलामी) – 2,06,000/- रु0
बोली दाताओं की संख्या – 27
नीलामी गठित कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य –
अध्यक्ष – सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
सदस्य – सहायक परिवहन अधिकारी(प्राविधिक) गाजियाबाद
सदस्य – प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
सदस्य – मालखाना मोहर्रिर है0का0 278 कर्मवीर सिंह थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

विवरण – गठित कमेटी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर दाखिल 27 वाहनों की नीलामी मूल्यांकन के उपरांत व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने पर 27 बोली दाताओं द्वारा हिस्सा लिया गया। इन वाहनों की न्युनतम धनराशि 1,70,500/- रु0 निर्धारित की गयी। जिसके सापेक्ष सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोली दाता द्वारा 2,06,000/- रु0 लगाये जाने पर हक में छोड़ी गयी।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त वंश शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी म0नं0 271 गली नं0 9 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या 19/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त वंश शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी म0नं0 271 गली नं0 9 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या -212/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्त वंश शर्मा उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 09.09.2025 को थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा अभियुक्त वंश शर्मा उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्त वंश शर्मा को दी गयी तथा अभियुक्त वंश शर्मा उपरोक्त की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया। साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्त के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना नन्दग्राम पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त वंश शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी के 04 अभियोग व बरामदगी 01 अभियोग, कुल 05 अभियोग कमि0 गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

(कुल -अभियोग-05)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा ठगी करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु की मालाएँ, 1.900 किलोग्राम पीली धातु, 10 हजार रूपये कैश बरामद।

दिनांक 09.05.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 08.05.2025 को एक महिला व एक पुरुष ने सस्ते में सोने की माला/आभूषण का प्रलोभन देकर वादिया को नकली सोना देकर 10 लाख रूपये की ठगी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 318(2)/303(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 08.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा आस-पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मैनुअल इनपुट/ सर्विलाँस आदि के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त जीवा पुत्र रामलाल निवासी शिवपुरम चांदना चौक थाना टीपी नगर मेरठ व अभियुक्ता जामा देवी पत्नी जीवा निवासी शिवपुरम चांदना चौक थाना टीपी नगर मेरठ को गंगनहर के पास थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से पीली धातु की मालाएँ, 1.900 किलोग्राम पीली धातु, 10 हजार रूपये कैश बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों पति-पत्नी हैं और करीब 20 वर्षो से लोगो के साथ ठगी कर रहे हैं। हम नकली सोने की माला/आभूषणों को असली बताकर सस्ते दामों में सोने की माला/आभूषण का प्रलोभन देकर लोगों से पैसों की ठगी करते हैं। हम लोग नकली सोने की माला में एक असली सोने का मोती लगाते हैं और उसको पहचानने के लिये उसमे काला धागा बाँध देते हैं और उसी को अचानक से निकालकर लोगों को सैम्पल के लिये दे देते हैं। एक बार ठगी करने के बाद तीन महीने के लिये अण्डरग्राउन्ड हो जाते हैं। जब लोग हमें पूछते हैं कि यह सोना कहाँ से आया तो बोल देते हैं कि घर की खुदाई कर रहे थे तो उसमें मिला था। हमें पैसे की जरूरत थी इसलिये इसको बेच रहे थे। हम लोग अब से पहले कभी पकडे नहीं गये।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता-

1. जीवा पुत्र रामलाल निवासी शिवपुरम चादना चौक थाना टीपी नगर मेरठ उम्र करीब 60 वर्ष।
2. जामा देवी पत्नी जीवा निवासी शिवपुरम चांदना चौक थाना टीपी नगर मेरठ उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से पीली धातु की मालाएँ, 1.900 किलोग्राम पीली धातु, 10 हजार रूपये कैश बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।